

प्रेस-विज्ञप्तिथाना गम्भीरपुरअवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 01.02.2024 को उप निरीक्षक राकेश चन्द्र त्रिपाठी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान गोसाई की बाजार से एक आटो चालक को पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम मो० फैसल S/O तुफैल अहमद नि० ग्राम मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष बताया। उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त थाने का हिस्ट्रीशीटर है जिसे समय करीब 10.00 सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु०अ०सं०-27/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। पकड़े गये व्यक्ति के पास से आटो श्री व्हीलर UP 50 DT 2767 रंग हरा व पीला के बारे में पूछा गया तो बता रहा है कि मैं इस आटो का चालक हूँ कागजात मांगा गया तो नहीं दिखा सका आटो उपरोक्त को जरिये ई चालान अन्तर्गत धारा 207 एम०वी० एक्ट में सीज किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** 1. अभियुक्त मो० फैसल S/O तुफैल अहमद नि० ग्राम मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष (हिस्ट्रीशाटर 75A)

**पंजीकृत अभियोग-** मु०अ०सं०-27/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०-142/2019 धारा-41 सीआरपीसी व 411/413/420/467/468/471 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. मु०अ०सं०-181/2019 धारा-379/411 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3. मु०अ०सं०-140/2020 धारा-147/149/323/364/504 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
4. मु०अ०सं०-16/2022 धारा-279/337/338 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
5. मु०अ०सं०-402/2022 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
6. मु०अ०सं०-409/2022 धारा-506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

**बरामदगी का विवरण-** 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-** उ०नि० राकेश चन्द्र त्रिपाठी मय हमराह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना- फूलपुरकिशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 31-01-24 को वादी मुकदमा द्वारा लिखित प्रा०पत्र दिया गया कि वादी की बहन द्वारा बकरी को रोटी खिलाते समय अभियुक्त वदूद पुत्र याकूब निवासी ग्राम तोवा थाना निजामाबाद द्वारा वादी की बहन के साथ छेड़खानी किया गया व शोर मचाने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 45/2024 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम वदूद पुत्र याकूब निवासी ग्राम तोवा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही उ०नि० ओमप्रकाश यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण दिनांक- 01.02.2024 को उ०नि० ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल वदूद पुत्र याकूब निवासी ग्राम तोवा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को स्थान- लाहीडीह से समय करीब 12.00 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 45/2024 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अब्दुल वदूद पुत्र याकूब निवासी ग्राम तोवा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष 06 माह

आपराधिक इतिहास- मु०अ०सं०- 45/2024 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम - उ०नि० ओमप्रकाश यादव मय हमराह का० इरफान अहमद, का० सुनील यादव

**थाना- बरदह**  
**लड़की को अगवा करने का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना/इतिहास-**

दिनांक- 27-01-2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक- 24-01-2024 को सांय लगभग 4.00 बजे अभियुक्त दिवाकर पुत्र सुहेल ग्राम - इरनी, थाना - बरदह, जिला- आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री को शादी के लिए बहला- फुसलाकर भगा ले गया है, उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33/24 धारा 363/366 भादवि बनाम दिवाकर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। सूचना पर दिनांक 28/01/24 को अपहृता की बरामदगी की जा चुकी है।  
गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 01.02.2024 को उप-निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिवाकर पुत्र सुहेल ग्राम - इरनी, थाना - बरदह, जिला- आजमगढ़ को जिवली तिराहे से समय 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1-मु0अ0सं0 33/24 धारा 363/366 भादवि थाना - बरदह, जिला- आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1-दिवाकर पुत्र सुहेल ग्राम - इरनी, थाना - बरदह, जिला- आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-**

1-मु0अ0सं0 33/24 धारा 363/366 भादवि थाना - बरदह, जिला- आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम -**

1. उ0नि0 श्री प्रकाश यादव थाना बरदह, आजमगढ़
2. हे0का0 राजू कुमार थाना बरदह, आजमगढ़

**थाना- कोतवाली**  
**वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना/इतिहास** -श्री संजय पुत्र अशोक ग्राम खेरातपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 04/11/2023 को थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि मै पुरानी जेल के सामने फुटपाथ पर काजू बादाम आदि का दुकान लगाता हूँ। दिनांक 3/11/2023 को समय 6.30 बजे शाम को 03 व्यक्ति मोटरसाईकिल से मेरी दुकान पर आये और सामान का भाव ताव करने लगे उसी समय उपरोक्त 3 व्यक्तियों ने मेरे बैग झोले मे रखा हुआ 13700 रुपया छीनने लगे लेकिन वह लोग छीन नहीं पाये और मेने शोर मचा दिया तब तक आस पास के लोग आ गये तब तक यो लोग अपनी गाडी से भाग गये। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 631/23 धारा 393 भादवि बनाम तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत हुआ। जिसमें रवि यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी असाधर पट्टी थाना कंधरापुर आजमगढ़ प्रकाश में आया अभियुक्त है।

**गिरफ्तारी का विवरण** दिनांक- 31.01.24 को उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त रवि यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी असाधर पट्टी थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष कलेक्ट्रेट चौराहे समय 12.20 बजे पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 0631/23 धारा 393 भादवी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- रवि यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी असाधर पट्टी थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

**आपराधिक इतिहास** - मु0अ0सं0 0631/23 धारा 393 भादवी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम -**

1. उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़।

**थाना- कोतवाली**  
**वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी मुकदमा तत्कालीन उ0नि0 विनोद कुमार सोनकर थाना कोतवाली आजमगढ़ को सूचना मिली कि 05-06 लोग चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बम बम बाबा की कुटिया के पास खड़े हैं, इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची जहाँ से एक व्यक्ति वामिक उर्फ वमिका की गिरफ्तारी की गयी जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर बरामद हुई, मौके से अन्य 05 अपराधी फरार हो गये थे। जिसके क्रम थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-320/16 धारा 420/467/468/471/413/414 भादवि बनाम 1- वामिक उर्फ वमिका 2. दीपक उर्फ सचिन गोड S/O हरिकेश गौड़ R/O मो0 कोढिया बस्ती PS कोतवाली आजमगढ़ आदि 6 नफर अभियुक्त के पंजीकृत है। जिसके क्रम में

**गिरफ्तारी का विवरण–**

दिनांक 31.01.24 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक उर्फ सचिन गोड S/O हरिकेश गौड़ R/O मो0 कोढिया बस्ती PS कोतवाली आजमगढ़ को बस स्टैण्ड रोडवेज पर समय 21.13 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त** दीपक उर्फ सचिन गोड S/O हरिकेश गौड़ मु0अ0सं0 32/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, मु0अ0सं0 147/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ व मु0अ0सं0 166/2016 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के अभियोग पंजीकृत हैं जिनमें अभियुक्त गैंग का सरगना है।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0-320/16 धारा 420/467/468/471/413/414 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1-दीपक उर्फ सचिन गोड S/O हरिकेश गौड़ R/O मो0 कोढिया बस्ती PS कोतवाली आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

**आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0-320/16 धारा 420/467/468/471/413/414 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 32/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 64/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 147/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

5. मु0अ0सं0 166/2016 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

6. मु0अ0सं0 348/2019 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

7. मु0अ0सं0 367/2019 धारा 393 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

8. मु0अ0सं0 378/2019 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम –**

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल उ0नि0 रामकिशोर शर्मा का0 रणवीर यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

**थाना – अहरौला**

**किशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना का विवरण-** दिनांक 28.01.2024 को वादिनी/पीड़िता थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर एक लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 27.01.2024 को समय दिन में करीब 03.30 बजे वादिनी/पीड़िता वापस आ रही थी कि विपक्षी चन्द्रप्रकाश उर्फ मन्नी पुत्र शिवजोर निवासी ग्राम हाँसापुर खुर्द थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा जबरदस्ती छेड़खानी की गयी तथा गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 31/24 धारा 354ख/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम चन्द्रप्रकाश उर्फ मन्नी पुत्र शिवजोर निवासी हाँसापुर खुर्द थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष के पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण.....** आज दिनांक 01.02.2024 को उ0नि0 राकेश कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अपराधी चन्द्रप्रकाश उर्फ मन्नी पुत्र शिवजोर निवासी हाँसापुर खुर्द थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को चाँदनी चौक के पास से समय 09.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 31/24 धारा 354ख/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता.....** चन्द्रप्रकाश उर्फ मन्नी पुत्र शिवजोर निवासी हाँसापुर खुर्द थाना अहरौला आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम.....** उ0नि0 राकेश कुमार तिवारी, मय हमराह थाना अहरौला आजमगढ़।

**थाना- फूलपुर**  
**अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार**

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक- 01.02.2024 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह के द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र बिन्द पुत्र रामअचल बिन्द निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष को एक नाजायज कट्टा 303 वोर व एक जिन्दा कारतूस 303 बोर स्थान- अम्बारी रेलवे क्रासिंग से समय करीब 06.55 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1.जितेन्द्र बिन्द पुत्र रामअचल बिन्द निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष  
**बरामदगी का विवरण:-** 1- एक नाजायज कट्टा 303 वोर व एक जिन्दा कारतूस 303 बोर  
**पंजीकृत अभियोग-1-** मु0अ0सं0 46/24 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़  
**आपराधिक इतिहास-**

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	46/24	3/7/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
2.	217/22	380, 411 भा0द0वि	फूलपुर	आजमगढ़
3.	198/20	4/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम – 1-** उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह का0 अरविन्द कुमार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

**थाना- मेंहनगर**  
**किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-** वादी की तहरीर सूचना पर की पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष को जो नाबालिग है दिनांक 26.11.23 को वादी के भतीजा की शादी में गयी थी उसी में घर की सभी महिलाएं गाना बजाना कर रही थी उसी समय वादी की पुत्री जो कक्षा 10 की छात्रा है को बृजेश गुप्ता पुत्र राजेश निवासी वार्ड नं0 10 हरवंशनगर कस्बा मेंहनगर थाना मेंहनगर आजमगढ़ अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ बहला फुसलाकर कही ले कर भाग गया है जिनके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 511/23 धारा 363/366 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना दिनांक 27.01.24 को वादी की पुत्री को बरामद किया गया पीडिता के बयान से धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 01.02.24 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 511/23 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट में वाछित अभियुक्त बृजेश गुप्ता पुत्र राजेश निवासी वार्ड नं0 10 हरवंशनगर कस्बा मेंहनगर थाना मेंहनगर आजमगढ़ को समय 10.00 बजे गोपालपुर चौराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 511/23 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1-बृजेश गुप्ता पुत्र राजेश निवासी वार्ड नं0 10 हरवंशनगर कस्बा मेंहनगर थाना मेंहनगर आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त**

**गिरफ्तारी करने वाली टीम – -**

1-उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह का0 उदयभान गुप्ता थाना मेंहनगर आजमगढ़

**थाना सरायमीर**  
**हत्या के प्रयास में बांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 21.01.2024 थाना स्थानीय के जनसुनवाई हेल्प डेस्क पर आवेदक शिवाकान्त पुत्र स्व0 ओमप्रकाश सेठ निवासी महाजनी टोला सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिनांक- 21/1/2024 को समय 5.50 बजे सुबह अपने घर से तबेला जो कि चककाजी मुहल्ला में गाय को खिलाने हेतु गया था वापस आते समय हाते में एक अज्ञात व्यक्ति ने जो अपना चेहरा ढके हुए था वादी मुकदमा के सिर पर चापड़ से अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से हमला किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-30/2024 धारा 307 भादवि बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 01.02.2024 उ0नि0श्री विजय बहादुर सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि कस्बा सरायमीर में जो शिवाकान्त उर्फ मुन्ना सेठ द्वारा जो धारा 307 का मुकदमा लिखाया गया है इनके सगे भाई कृष्णकान्त सेठ से जमीन पैतृक जमीन व दुकान तथा मकान के बटवारे का विवाद चल रहा है उसी से सम्बन्धित दो व्यक्ति आपस में शेरवा पुलिया के पास बातचीत कर रहे हैं, इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्तियों पुलिया के पास पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम अशोक कुमार उर्फ पिन्टू गोड़ पुत्र रामकुमार गोड़ मुहल्ला सुसहटी कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम संजू सिंह पुत्र श्यामलाल ग्राम मुरारपुर उर्फ मुरचौवड़ा थाना बहेड़ी जनपद बरेली उम्र करीब 30 वर्ष बताया। गिरफ्तार दोनो अभियुक्त को शेरवा पुलिया से आज दिनांक 01.02.2024 को समय 11.30 बजे पुलिस हिरासत लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ पिन्टू गोड़ ने बताया कि साहब मेरी सोने चांदी की दुकान कस्बा सरायमीर में पहले प्रकाश बिन्दु पुत्र स्व0 लहजू राम बिन्दु ग्राम राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ के साथ पार्टनरशीप में दुकान थी जो हम लोग एक साथ पांच वर्ष तक चलाये परन्तु प्रकाश ने उसके बाद दुकान अलग कर लिया। दुकान के बंटवारे में प्रकाश ने कुछ सामान इधर उधर किया था जिससे मैं बदला लेने की बात मन में रखा था कि वही दुकान के पड़ोसी राजीव सेठ पुत्र कृष्णकान्त सेठ की सोने चांदी की दुकान कुछ दूरी पर है जिनसे मेरा जान पहचान व उनके यहां आना जाना था तो राजीव सेठ के चाचा शिवाकान्त उर्फ मुन्ना सेठ से मकान जमीन व दुकान बंटवारे का विवाद चलता है तो राजीव सेठ ने हमको अपने चाचा शिवाकान्त उर्फ मुन्ना सेठ को मारने व हड़काने के लिए कुछ दिन पहले मुझसे बात किया था तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है तो हमने कस्बा सरायमीर में संजू सिंह पुत्र श्याम लाल जो इधर उधर घुमफिर कर कस्बा में रहता है उससे मिला और मुन्ना सेठ को मारने व धमकाने की योजना बनाया। तथा उसको एक चापड़ भी दे दिया था कि अगर तुम उनको मारपीट हड़का दोगे तो तुम्हें बाद में 20- 25 हजार रुपये दे दूंगा।

दूसरे पकड़े गये व्यक्ति संजू सिंह ने बताया कि साहब मैं जनपद बरेली का रहने वाला हूँ कस्बा सरायमीर में मंदिर व दुकानो पर सोकर दिन में टेम्पू व जो भी काम मिल जाता है उसको करता हूँ। कस्बा सरायमीर में दो तीन महिने पहले अशोक उर्फ पिन्टू गोड़ की सोने चांदी की दुकान है मैं इनके दुकान पर कुछ सामान लेने गया था तब से इनकी मेरी जान पहचान हो गयी थी। मैं दिनांक 21.01.24 को भोर में हाते के पीछे रास्ते से दीवाल फांदकर शिवाकान्त के ऊपर मैंने चापड़ से मारकर उनको जान से मारने की धमकी देकर भाग गया तथा अपराध में शामिल तीसरा अभियुक्त राजीव सेठ पुत्र कृष्णकान्त निवासी सुसहटी कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ घटना के बाद से फरार है। जल्द ही गिरफ्तारी की जायेगी।

**बराहदगी का विवरण:-** एक लोहे का चापड़, लोहे की 6 अंगुल, फाल लोहे की 10 अंगुली चौड़ाई 4 अंगुल

**पंजीकृत अभियोग-** 1.मु0अ0सं0-30/2024 धारा 307 भादवि बनाम अज्ञात थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ **बढोत्तरी धारा 506/34 भादवि व 4/25 आयुध अधिनियम** थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-**

अभियुक्त का नाम पता	मु0अ0सं0	धारा	थाना/जनपद
1.संजू सिंह पुत्र श्यामलाल निवासी मुरारपुर थाना बहेड़ी जनपद आजमगढ़	1. 25/2021	60 Ex act	थाना सरायमीर,आजमगढ़।
	2. 30/2024	307/506/34 भादवि व 4/25 आयुध अधिनियम	थाना सरायमीर,आजमगढ़।
2. अशोक कुमार उर्फ पिन्टू गोड़ पुत्र रामकुमार गोड़ मुहल्ला सुसहटी कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़	1.30/2024	-307/506/34 भादवि	थाना सरायमीर,आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाले टीम-**

1- उ0नि0श्री विजय बहादुर सिंह मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।